MJC Civil Case no .157 of 2022

Copy of Order in ordersheet passed by Shri Santosh Thakur, VI District Judge, Raigarh in MJC Civil Case no. 157 of 2022 (HDFC Bank Ltd. Vs. Dashrath Rathiya & others) dated on 17.09.2024, arrising out of Miscellaneous Civil Case no. 23 of 2021 (HDFC Bank Ltd. Vs. Dashrath Rathiya & others) order passed dated on 23.06.2022.

एच डी एफ सी बैंक लिमि.
पंजीकृत अंतर्गत भारतीय कम्पनी
अधिनियम 1956 के तहत स्थित,
मुम्बई, महाराष्ट्र
शाखा कार्यालय देवेन्द्र नगर छोटी
लाईन के पास, रायपुर (छ.ग.)
सक्षम अधिकारी, इन्द्रपाल सिंह
पिता स्व 0 चन्द्रशेखर सिंह .....डिक्रीधारी/आवेदक

Vs.

1. दशरथ राठिया आ. अमर राठिया,
2. कार्तिक राठिया आ. अमर राठिया,
3. प्रेमसिंह राठिया आ. धरम राठिया,

सभी निवासी ग्राम पुलाटपारा सिसरिंगा,

तह. धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) .....निर्णीत ऋणी

अनावेदक

17.09.2024 आवेदक द्वारा श्री डी.एन.नायक अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रॅ. 1 व 2, अनुपस्थित,

अनावेदक क्रॅ. 3 द्वारा श्री महेश यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि पूर्व तिथि मे अनावेदक क्रॅ. 3 की ओर से एकपक्षीय आदेश अपास्त कर प्रकरण की सुनवाई मे अवसर प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसका निराकरण नही किया गया है। उक्त के संबंध मे आवेदक अधिवक्ता को अवगत कराया गया, उनके द्वारा उक्त आवेदन का कोई जवाब नही देना तथा आवेदन स्वीकार किए जाने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया।

आवेदन पर विचार किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनावेदक क्रॅ. 3 द्वारा एकपक्षीय आदेश अपास्त कर प्रकरण की सुनवाई मे अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर अनावेदक क्रॅ. 3 को प्रकरण मे भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनावेदक क्रॅ. 3 द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का जवाब प्रस्तुत किया गया, अनावेदक क्रॅ. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश अपास्त कर उसे प्रकरण की सुनवाई मे भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत जवाब अभिलेख मे लिया जाता है, जवाब की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय की जावे ।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क सुने जा चुके हैं।

निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 का अवलोकन किया गया ।

आवेदक द्वारा आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि न्यायालय द्वारा निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 को तलवाना अदा नही किये जाने से निरस्त किया गया है। निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 (एच डी एफ सी बैंक लिमि. वि. दशरथ राठिया वगैरह) मे फरवरी 2022 तक कोविड 19 के महामारी के कारण प्रकरण मे तिथि बढ़ाया गया था, मार्च और अप्रेल माह मे आडिट कार्य से आवेदक/डिक्रीधारी बैंक कार्य मे व्यस्त होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका और अनावेदक/देनदार को समंस निर्वहन हेतु तलवाना अदा

नही कर पाया, जो सद्भाविक है। आवेदक/ डिक्रीधारी की मंशा प्रकरण मे रुचि नही लेने की नही है, वह अपने प्रकरण का गुण दोष के आधार पर विधि अनुरुप सम्यक निराकरण कराना चाहता है। अतः आदेश दिनांक 23.06.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन मे इन्द्रपाल सिंह आ. स्व 0 चंद्रशेखर सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण मे अनावेदकगण नोटिस तामील के उपरांत अनुपस्थित रहे हैं ।

अनावेदक क्रॅ. 3 द्वारा अपने जवाब मे आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/ डिक्रीधारी लिया गया आधार पूर्णतः निराधार है, जिसके समर्थन मे कोई भी अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है अतः आवेदक का आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक द्वारा निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 (एच डी एफ सी बैंक लिमि. वि. दशरथ राठिया वगैरह) मे दिनांक 23.06.2022 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई मे लिये जाने हेतु आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन मे आवेदक द्वारा बताया गया है कि फरवरी 2022 तक कोविड 19 के महामारी के कारण प्रकरण मे तिथि बढ़ाया गया था, मार्च और अप्रेल माह मे आडिट कार्य से आवेदक/डिक्रीधारी

बैंक कार्य मे व्यस्त होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका और अनावेदक/देनदार को समंस निर्वहन हेतु तलवाना अदा नही कर पाया, जो सद्भाविक है। जिसका अनावेदकगण के द्वारा विरोध किया गया है तथा प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अनावेदकगण उक्त निष्पादन प्रकरण मे समंस निर्वहन नही होने से अनुपस्थित रहे हैं।

निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 (एच डी एफ सी बैंक लिमि. वि. दशरथ राठिया वगैरह) की आदेश पत्रिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरवरी 2022 तक कोविड 19 के महामारी के कारण प्रकरण मे तिथि दिया गया था, तत्पश्चात दिनांक 05.03.2022 से प्रकरण नियमित सुनवाई मे लिया गया है। दिनांक 06.04.2022, 06.05.2022 को अनावेदकगण को साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए जाने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 23.06.2022 को आवेदक द्वारा तलवाना अदा किए जाने मे कोई रुचि नही लेने के कारण प्रकरण खारिज किया गया है ।

आवेदक/डिक्रीधारी की ओर से प्रस्तुत आवेदन मे तलवाना अदा नही कर पाने का यह कारण दर्शाया गया है कि फरवरी 2022 तक कोविड 19 के महामारी के कारण प्रकरण मे तिथि बढ़ाया गया था, मार्च और अप्रेल माह मे आडिट कार्य से आवेदक/डिक्रीधारी बैंक कार्य मे व्यस्त होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका, जो कि एक सद्भाविक भूल है।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक/डिक्रीधारी की ओर से यह तत्परता दिखाया जाना कि वह प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर कराना चाहता है, उक्त सद्भाविक भूल को माफ करने के लिये पर्याप्त एवं उचित प्रतीत हो रहा है। यदि आवेदक/ डिक्रीधारी की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद का निराकरण गुण दोष के आधार पर नही किया जाता है तो इससे निश्चित तौर पर आवेदक/डिक्रीधारी को अपूर्णीय क्षति होगी, जो कि विधि की मन्शा नही है। यह सर्वमान्य विधि है कि न्यायालय को प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु प्रयासरत् रहना चाहिए । प्रश्नगत प्रकरण अवार्ड की बकाया राशि 3,10,203/– रुपये की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है । यदि उक्त प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर नहीं किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी एवं उनके विधिक अधिकार प्रभावित होंगे क्योंकि तलवाना अदा नही कर पाने में उनकी कोई व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है बल्कि उनकी सद्भाविक त्रुटि है।

आदेश 09 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध शास्तिक प्रकृति के नहीं है । ऐसे मामलो मे वरिष्ठ न्यायालयों का यह प्रारम्भ से अभिमत रहा है कि प्रकरण के गुण दोषों पर अंतिम निराकरण के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए एकपक्षीय आदेश निरस्त किए जाने की कार्यवाही के समय न्यायालय को अत्यधिक कडाई (Rigid view) नही करनी चाहिए। आवेदक/डिक्रीधारी की ओर से अपने अभिवचनों एवं सद्भाविक कारणों के संबंध मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका खण्डन अनावेदकगण की

ओर से नही किया गया है । प्रकरण के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक की सद्भाविक त्रुटि के कारण दिनांक 23.06.2022 को उक्त प्रकरण तलवाना अदा किए जाने मे कोई रुचि नही लेने के कारण खारिज किया गया है, जिसे गुण दोष के आधार पर निराकरण किये जाने हेतु पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति मे यह अवधारित किया जाता है कि नियत दिनांक को आवेदक/डिक्रीधारी द्वारा सद्भाविक कारणों से तलवाना अदा नही किया जा सका है, किन्तु प्रकरण में जो विलम्ब हुआ है इसके लिए आवेदक/डिक्रीधारी के विरुद्ध **1000/–रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) परिव्यय** अधिरोपित करते हुए **आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि** निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 (एच डी एफ सी बैंक लिमि. वि. दशरथ राठिया वगैरह) को उसके मूल नंबर पर पुर्नस्थापित किया जावे। आवेदक/ डिक्रीधारी द्वारा उपरोक्त परिब्यय की राशि 1000/– रु. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ के समक्ष जमा किया जायेगा तथा पावती की प्रति प्रकरण मे संलग्न किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि वे दिनांक 09/10/2024 को 11 बजे न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रहे।

उभय पक्ष अपना अपना प्रकरण व्यय वहन करेंगे।

तदनुसार ब्यय तालिका बनाई जावे।

आदेश की प्रति निष्पादन प्रकरण क्रॅ. 23/2021 (एच डी एफ सी बैंक लिमि. वि. दशरथ राठिया वगैरह) मे

संलग्न किया जावे ।

प्रकरण समाप्त परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार मे जमा किया जावे।

सही/–

(संतोष ठाकुर)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
रायगढ़ (छ0ग0)